

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2174 /2019

दिनांक 24.10.2019


श्रीमती सरोज चौधरी (RJ0446), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 27.09.2019 से 29.09.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 30.09.2019 से 04.10.2019 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण) क्रम-02, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

  
24.10.19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/79/2002/ 10135

दिनांक 24.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 10417 दिनांक 09.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती सरोज चौधरी (RJ0446), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर ।
5. अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण) क्रम-02, जयपुर महानगर ।

  
24.10.2019  
सहायक रजिस्ट्रार